प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
(खण्ड पीठ)

दाण्डिक अपील क्रमांक - 2639/2000

अशोक उर्फ अमरनाथ

बनाम

मध्यप्रदेश राज्य

विचारार्थ निर्णय

(सही/-)
वी.के. श्रीवास्तव
न्यायमूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय न्यायाधीश श्री फखरुद्दीन
(सही/-)
न्यायमूर्ति

26.07.2005 हेतु सूचीबद्ध

(सही/-)
न्यायमूर्ति
26.07.2005

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(खण्ड पीठ)

कोरम - माननीय न्यायमूर्ति श्री फखरुद्दीन
माननीय न्यायमूर्ति श्री विजय श्रीवास्तव

दाण्डिक अपील क्रमांक - 2639/2000

अपीलार्थी : अशोक उर्फ अमरनाथ आत्मज श्री हीरालाल पटारी (प्रधान गोंड), निवासी- ग्राम सलाका मनबंधा, पुलिस थाना- बैकुण्ठपुर, जिला- सरगुजा (म.प्र.)
अभियुक्त (जेल में)

बनाम

उत्तरवादी : मध्य प्रदेश राज्य द्वारा
पुलिस थाना- बैकुण्ठपुर, जिला- सरगुजा (म.प्र.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित -

अपीलार्थी हेतु - श्री डी.आर. शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा श्री बी.डी. बडगईयां, अधिवक्ता

उत्तरवादी/राज्य हेतु - श्री अखिल मिश्रा, पैनल अधिवक्ता

निर्णय
(26.07.2005 को परिदत्त)

न्यायमूर्ति विजय कुमार श्रीवास्तव द्वारा

यह अपील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मनेंद्रगढ़ द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 263/96 में दिनांक 19/07/1997 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश से व्यथित हो कर प्रस्तुत की गयी है जिसके अधीन अपीलार्थी अशोक उर्फ अमरनाथ को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत

दंडनीय अपराध का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास एवं ₹2,000/- के अर्थदंड से दंडित किया गया है तथा अर्थदंड के व्यतिक्रम पर 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने का आदेश दिया गया है।

2. मृतका पार्वती अभियुक्त/अपीलार्थी की पत्नी थी, जो अपने पति के साथ बाबूलाल और फूलबाई से लिए गए एक किराये के कमरे में रहती थी। यह कमरा बाबूलाल और फूलबाई के घर के पिछले हिस्से की ओर स्थित था। अभियुक्त/अपीलार्थी अपनी पत्नी पार्वती की निष्ठा पर संदेह करता था क्योंकि उसे लगता था कि उसका उसके पड़ोसी रामसिंह के साथ अवैध संबंध है। इस कारण से वे अक्सर झगड़ा करते थे। घटना दिनांक अर्थात 12-5-1996 को लगभग 12:30 बजे दिन में दोनों के बीच झगड़ा हो रहा था। पार्वती ने जोर से आवाज लगायी। फूलबाई आवाज सुनकर अभियुक्त के कमरे की ओर दौड़ी जहाँ उसने मृत पार्वती को कमरे में पड़ा देखा तथा अभियुक्त वहाँ टंगिया लिए खड़ा था। फूलबाई को वहाँ देखकर अभियुक्त ने उस पर हमला करने का प्रयत्न किया किन्तु फूलबाई वहां से भाग गयी और अपने घर पहुंचकर अपने पति बाबूलाल को सूचना दी कि अभियुक्त ने अपनी पत्नी पार्वती को टंगिया से मारकर उसकी मृत्यु कारित कर दिया है। बाबूलाल ने धर्मेन्द्र और भोलासिंह को बुलाकर घटना की जानकारी दी और तीनों मिलकर अभियुक्त के कमरे की ओर गए जहाँ उन्हें कमरा बाहर से बंद मिला। उन्होंने दरवाजा खोला तो पार्वती का शव कमरे के अंदर पड़ा हुआ पाया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

3. फूलबाई द्वारा घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस द्वारा मर्ग सूचना दर्ज किया गया, शव का पंचनामा तैयार किया गया और शव को शव परीक्षण हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मनेन्द्रगढ़ भेजा गया। घटनास्थल से सादी मिट्टी तथा खून आलूदा मिट्टी जब्त किया गया। देहाती नलिसी दर्ज किया गया। अभियुक्त को अभिरक्षा में लिया गया। उसके खून आलूदा कपड़े जब्त किए गए। अभियुक्त/अपीलार्थी के मेमोरण्डम एवं निशानदेही के आधार पर घटना में प्रयुक्त टंगिया बरामद कर जब्त किया गया और गवाहों के बयान दर्ज किए गए। शव परिक्षण के दौरान डॉ. एस.के. चनपुरिया एवं डॉ. एस.के. गुप्ता ने पार्वती के शरीर पर बहुविध चोटें पाई और उन्होंने अभिमत दिया कि मृत्यु का

कारण अत्यधिक रक्तस्राव से उत्पन्न आघात के परिणामस्वरूप आई सिंकोप थी, जो बहुविध चोटों के कारण हुई थी, और मृत्य की प्रकृति हत्यात्मक थी। उन्होंने शव से खून आलूदा कपड़े भी एकत्र किए तथा रासायनिक परीक्षण के लिए योनि स्मीयर की दो स्लाइड तैयार की। खून आलूदा मिट्टी, सादी मिट्टी, मृतका के कपड़े एवं अन्य वस्तुएँ, अभियुक्त के कपड़े और टंगिया न्यायालिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर भेजा गया। रासायनिक परीक्षण में मिट्टी, चूड़ियों के टुकड़े, चूड़ी, मृतका के कपड़े, अभियुक्त/अपीलार्थी की पैंट और टंगिया पर रक्त पाया गया। सम्यक विवेचना उपरांत, थाना प्रभारी मनेन्द्रगढ़ द्वारा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मनेन्द्रगढ़ के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने प्रकरण विचारण हेतु सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया।

4. अपर सत्र न्यायाधीश, मनेन्द्रगढ़ द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध हेतु आरोप की विरचना कर अभियुक्त/अपीलार्थी को पढ़कर समझाया गया जिस पर अभियुक्त द्वारा अपराध से इंकार कर विचारण हेतु अभिवाक किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य अवलोकन पश्चात अभियुक्त/अपीलार्थी को अपनी पत्नी पार्वती की मृत्यु कारित करने के अपराध में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषी ठहराते हुए उपर्युक्तानुसार दंड एवं सजा दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. डॉ. एस.के. गुप्ता एवं डॉ. एस.के. चनपुरिया द्वारा शव परीक्षण उपरांत अपनी रिपोर्ट (प्र o पी-8) प्रस्तुत किया गया है। डॉ. एस.के. गुप्ता (अ o सा o-7) ने कथन किया है कि शव परीक्षण के दौरान उन्होंने पार्वती के शव पर निम्नलिखित चोटें पाई :-

(1) एक लाल रंग का कटा चोट जिसका आकार 5x1x5 सेमी था जो ठुड्डी के दाहिने तरफ ऊपर की ओर और पीछे की दिशा में था। चोट की जांच करने पर पाया गया कि निचला जबड़ा (मैंडिबल) हड्डी सहित मांसपेशी कटी हुई थी। हड्डी का कटा हुआ हिस्सा का आकार 3x1x2 सेमी था।

(2) एक लाल रंग का कटा चोट जिसका आकार 4x2x4 सेमी था जो ऊपर की ओर और पीछे की दिशा में दाहिनी कनपटी (टेम्पल) क्षेत्र में था जिस पर रक्त के थक्के मौजूद थे। नीचे की ओर मैक्सिला हड्डी कटी हुई थी जिसका आकार 3x2x1 सेमी था।

(3) एक कटा चोट जिसका आकार 5x2 सेमी था जो दाहिनी टेम्पोरल क्षेत्र में मध्य और ऊपर की दिशा में मस्तिष्क तक फैला हुआ था। नीचे की ओर दाहिनी टेम्पोरल हड्डी कटी हुई थी जिसका आकार 3x1x1 सेमी था जो लाल रंग का था और उस पर रक्त के थक्के मौजूद थे। चोट से मस्तिष्क दिखाई दे रहा था।

(4) दाहिने रेडियस और उलना हड्डियों का मध्य भाग में अस्थिभंग।

(5) एक लाल रंग का कटा चोट जिसका आकार 4x2x3 सेमी था जो अंदर की ओर और नीचे की दिशा में, गर्दन के बाई ओर, दाहिने मास्टोइड प्रोसेस से 5 सेमी नीचे था। मांसपेशियाँ और रक्त वाहिकाएँ कटी हुई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. डॉ. एस.के. गुप्ता (अ o सा०-7) ने आगे कथन किया है कि चोट क्रमांक 4 कठोर एवं भोथरे वस्तु से पहुंचाई गयी थी, जबकि अन्य चोटें कठोर और नुकीली वस्तु से पहुंचाई गयी थी। सभी चोटें मृत्युपूर्व प्रकृति की थी और उनके अभिमत में मृत्यु का कारण बहुविध मृत्युपूर्व चोटों के कारण अत्यधिक रक्तस्राव से उत्पन्न आघात के परिणामस्वरूप सिंकोप है और मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक है। इस साक्षी के साक्ष्य खंडन हेतु उसके प्रतिपरीक्षण में कोई सारवान तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

7. फूलबाई (अ o सा०-1) का कथन रहा है कि लगभग 12 बजे उसने पार्वती के रोने की आवाज सुनी थी इसलिए वह उसके कमरे में गई थी। वहां उसने देखा कि अभियुक्त/अपीलार्थी के हाथ में टंगिया था और पार्वती चित्त पड़ी हुई थी। अभियुक्त/अपीलार्थी ने उस पर भी टंगिया से हमला करने का प्रयास किया इसलिए वह वहां से भाग गई और अपने पति बाबूलाल को बताई कि अभियुक्त/अपीलार्थी अशोक ने अपनी पत्नी पार्वती को टंगिया से मार कर उसकी मृत्यु कारित कर दिया है। उसके पति बाबूलाल ने घटना की जानकारी धर्मेन्द्र को दी, तत्पश्चात वह बाबूलाल के साथ

अपीलार्थी के कमरे में गई। कमरा बाहर से बंद था। धर्मेन्द्र ने दरवाजा खोला तो उन लोगों ने पाया कि पार्वती कमरे में चित्त पड़ी हुई थी तथा उसके गले से खून बह रहा था। उसने अभियुक्त/अपीलार्थी को वहां से भागते हुए भी देखा था। पार्वती की मृत्यु हो चुकी थी। उसने रिपोर्ट प्र o पी-1 दर्ज कराया। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कथन किया है कि पार्वती ने चिल्लाया था कि उसे टंगिया से काट दिया गया है। उसने यह भी उद्घाटित किया कि अभियुक्त/अपीलार्थी अपनी पत्नी पार्वती के पास खड़ा था।

8.बाबूलाल (अ o सा०-2) का कथन रहा है कि दोपहर करीब 12 बजे वह सो रहा था। उसकी पत्नी फूलबाई आकर उसे जगाई तथा जानकारी दी कि अभियुक्त/अपीलार्थी उसे दौड़ा रहा है। अभियुक्त/अपीलार्थी अपनी पत्नी की मृत्यु कारित कर दिया है। उसने भगवान सिंह तथा धर्मेन्द्र को घटना की जानकारी दी। वे सभी अभियुक्त/अपीलार्थी के घर गए जहाँ उन्होंने देखा कि कमरा तथा दरवाजा बाहर से बंद था। उन्होंने दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर देखा तो पाया कि पार्वती का शव चित्त पड़ा हुआ था। उसके चेहरे, गर्दन और कंधों पर चोट मौजूद थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. धर्मेन्द्र (अ o सा०-3) एवं भोलासिंह (अ o सा०-4) का कथन रहा है कि अभियुक्त/अपीलार्थी के घर का दरवाजा बाहर से बंद था। दरवाजा खोलने पर उन्होंने कमरे के अन्दर पार्वती का शव पड़ा देखा था। धर्मेन्द्र (अ o सा०-3) का यह भी कथन रहा है कि अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा पार्वती की मृत्यु कारित करने की जानकारी उसे बाबूलाल ने दी थी।

10. फूलबाई (अ o सा०-1), बाबूलाल (अ o सा०-2), धर्मेन्द्र (अ o सा०-3) और भोलासिंह (अ o सा०-4) के कथनों में ऐसा कोई अभाव नहीं है जिससे उन पर अविश्वास किया जाए। अतः उनके साक्ष्य से यह स्थापित होता है कि जब पार्वती घायल हुई उस समय मृतका पार्वती और अभियुक्त/अपीलार्थी कमरे के अन्दर थे। फूलबाई ने अभियुक्त/अपीलार्थी को मृतका पार्वती के पास टंगिया पकड़े खड़े देखा था। अभियुक्त/अपीलार्थी फूलबाई को देखकर उस पर भी हमला करने का प्रयास किया था। तत्पश्चात, फूलबाई ने अभियुक्त/अपीलार्थी को वहाँ से भागते हुए भी देखा था। कमरे के अन्दर पार्वती का शव घायल अवस्था में पड़ा था।

11. अभियुक्त/अपीलार्थी का मेमोरेंडम कथन प्र०पी०2 है जिसके आधार पर प्र०पी०3 के अनुसार टंगिया बरामद किया गया है। एस.आर. धृतलहरे (अ०सा०-13) द्वारा मेमोरेंडम दर्ज कर अभियुक्त की निशानदेही पर टंगिया बरामद कर जब्त किया गया है। इस साक्षी ने अपने कथन में उक्त तथ्य का समर्थन किया है। धर्मेन्द्र (अ०सा०-3) तथा सुकालूराम (अ०सा०-9) का कथन रहा है कि अभियुक्त/अपीलार्थी पुलिस तथा अन्य लोगों को उस स्थान पर ले गया था जहां वह पत्तों से ढके गड्ढे में टंगिया छिपाया हुआ था तथा अभियुक्त/अपीलार्थी की निशानदेही पर टंगिया बरामद कर जब्त किया गया था। उपरोक्त साक्ष्य के खंडन में कोई सारवान तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः, उपरोक्त साक्ष्य से यह साबित होता है कि अभियुक्त/अपीलार्थी की निशानदेही पर टंगिया बरामद किया गया था।

12. अपीलार्थी के कपड़े प्र०पी०5 के अनुसार जब्त किए गए है। धर्मेंद्र (अ०सा०-3) और एस.आर.धृतलहरे (अ०सा०-13) के कथनों से जब्ती कार्यवाही की पुष्टि हुई है। एस.आर.धृतलहरे (अ०सा०-13) द्वारा यह भी प्रमाणित किया गया है कि जब्त सभी वस्तुओं को जांच हेतु न्यायालिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर भेजा गया था। सहायक रासायनिक परीक्षक, न्यायालिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर की रिपोर्ट प्र०पी०17 है, जिससे यह स्पष्ट है कि अभियुक्त/अपीलार्थी के पैंट और उसकी निशानदेही पर जब्त टंगिया में खून पाया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. किसी ने भी अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा मृतक पार्वती को चोट पहुंचाते नहीं देखा है। प्रकरण पूर्णतः परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *विलास पांडुरंग पाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य*, जो कि (2004) 6 एससीसी 158 में प्रकाशित है, के पैरा 10 से 17 में निम्न अवलोकन किया है :-

> "10. इस न्यायालय द्वारा निरंतर यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जब कोई प्रकरण पूर्णतः परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होता है, वहां दोषिता का निष्कर्ष तभी उचित ठहराया जा सकता है जब सभी दोषपूर्ण तथ्य और परिस्थितियां आरोपी के निर्दोषता या किसी अन्य व्यक्ति के दोष से असंगत पाए जाती है। (देखें *हुकम सिंह*

बनाम राजस्थान राज्य, एराडू बनाम हैदराबाद राज्य, ईरभद्रप्पा बनाम कर्नाटक राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सुखबासी, बलविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य और अशोक कुमार चटर्जी बनाम मध्य प्रदेश राज्य)। जिन परिस्थितियों से आरोपी के दोष सम्बन्धी अनुमान लगाया जाता है, उसे युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए और यह दर्शाया जाना चाहिए कि उन परिस्थितियों से अनुमान लगाए जाने वाले मुख्य तथ्य से उनका निकट संबंध है। *भगत राम बनाम पंजाब राज्य* के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां प्रकरण परिस्थितिजन्य निष्कर्ष पर निर्भर करता है, वहां परिस्थितियों का संचयी प्रभाव ऐसा होना चाहिए जो आरोपी के निर्दोषता को नकारता हो और अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करता हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. हम *सी. चेंगा रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य* में इस न्यायालय के निर्णय का भी संदर्भ देते हैं, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि :- (एससीसी पृ. 206-07, पैरा 21)

> "21. परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित प्रकरण में सुस्थापित विधि यह है कि जिन परिस्थितियों से दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूर्णतः साबित किया जाना चाहिए और ऐसी परिस्थितियां निश्चायक प्रकृति की होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, सभी परिस्थितियां पूर्ण होनी चाहिए और साक्ष्य की श्रृंखला में कोई अभाव नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, प्रमाणित परिस्थितियां केवल आरोपी के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होना चाहिए तथा उसके निर्दोषता से पूर्ण रूप से असंगत होना चाहिए।"

12. *पडाला वीरा रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य* में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जब कोई प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होता है तो ऐसे साक्ष्य को निम्नलिखित परीक्षणों को पूरा करना चाहिए :- (एससीसी पृ. 710-11, पैरा 10)

"10. (1) जिन परिस्थितियों से दोष का अनुमान लगाया जा रहा है, उन्हें ठोस और दृढ़ता से स्थापित किया जाना चाहिए;

(2) उन परिस्थितियों में एक निश्चित प्रवृत्ति होनी चाहिए जो आरोपी के दोष की ओर स्पष्ट रूप से इंगित करे;

(3) संचयी रूप से ली गई परिस्थितियाँ इतनी पूर्ण कड़ी बनानी चाहिए कि इस निष्कर्ष के सिवाय अन्य सभी निष्कर्ष अपवर्जित हो कि सभी मानवीय संभावनाओं में अपराध आरोपी द्वारा ही किया गया है किसी अन्य द्वारा नहीं; एवं

(4) दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य पूर्ण होना चाहिए तथा आरोपी के अपराध के अलावा किसी अन्य परिकल्पना की व्याख्या हेतु अयोग्य होना चाहिए और ऐसा साक्ष्य न केवल आरोपी के अपराध के अनुरूप होना चाहिए बल्कि उसकी निर्दोषता से भी असंगत होना चाहिए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. *उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अशोक कुमार श्रीवास्तव* में यह इंगित किया गया था कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के अवलोकन में उचित सावधानी बरतनी चाहिए और यदि जिस साक्ष्य पर भरोसा किया जाता है, वह उचित रूप से दो निष्कर्ष हेतु सक्षम है तो वह साक्ष्य जो आरोपी के पक्ष में हो उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि जिन परिस्थितियों पर भरोसा किया जाना है, वह पूर्णतः सिद्ध होना चाहिए तथा इस प्रकार सभी प्रमाणित तथ्यों का संचयी प्रभाव केवल दोष की परिकल्पना के अनुरूप होना चाहिए।

14. सर अल्फ्रेड विल्स द्वारा अपनी प्रशंसनीय पुस्तक *विल्स परिस्थितिजन्य साक्ष्य (अध्याय VI)* में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के विषय में विशेष रूप से पालन किए जाने वाले निम्नलिखित नियम निर्धारित किया गया है :- *(1)* किसी भी विधिक अनुमान के

आधार पर आरोपित तथ्य स्पष्ट रूप से साबित होना चाहिए और विवाद्यक तथ्य से युक्तियुक्त संदेह से परे संबद्ध होना चाहिए; *(2)* सबूत का भार हमेशा उस पक्ष पर होगा जो किसी तथ्य के अस्तित्व का दावा करता है जिससे विधिक जवाबदेही का अनुमान लगाया जा सके; *(3)* सभी मामलों में, चाहे प्रत्यक्ष साक्ष्य हो या परिस्थितिजन्य साक्ष्य, सर्वोत्तम साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए जो प्रकरण की प्रकृति के अनुसार स्वीकार्य हो; *(4)* दोष के अनुमान को उचित ठहराने के लिए, दोषसिद्ध तथ्य आरोपी के निर्दोषता से विसंगत होना चाहिए तथा उसके दोष के अलावा किसी अन्य उचित परिकल्पना पर स्पष्टीकरण हेतु अयोग्य होना चाहिए; एवं *(5)* यदि आरोपी के अपराध के विषय में कोई उचित संदेह हो तो वह दोषमुक्त किये जाने का हकदार होगा।

15. इसमें कोई संदेह नहीं है कि केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर भी दोषसिद्धि की जा सकती है, लेकिन इसे उस कानून की कसौटी पर परखा जाना चाहिए जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य से संबंधित है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा 1952 में स्थापित किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. *हनुमंत गोविंद नरगुंडकर बनाम मध्य प्रदेश राज्य* में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि : (एआईआर पृष्ठ 345-46, पैरा 10)

> "यह स्मरण रहे कि जहाँ साक्ष्य परिस्थितिजन्य प्रकृति का होता है, वहाँ जिन परिस्थितियों के आधार पर दोषसिद्धि का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें प्रथमतः पूर्ण रूप से स्थापित किया जाना चाहिए और इस प्रकार स्थापित सभी तथ्य केवल आरोपी की दोषसिद्धि के परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए। साथ ही, यह परिस्थितियाँ निश्चायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए कि प्रस्तावित परिकल्पना के अतिरिक्त अन्य किसी भी संभावना को अपवर्जित करता हो। दूसरे शब्दों में, साक्ष्य की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि आरोपी की निर्दोषिता से संगत सभी

युक्तियुक्त आधार अपवर्जित रहे और यह दर्शित करे कि सभी मानवीय संभावनाओं में यह कार्य आरोपी द्वारा ही किया गया होगा।"

17. यहाँ *शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य* के पश्चातवर्ती निर्णय का संदर्भ दिया जा रहा है जिसमें परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से निपटते समय, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अभियोजन पक्ष पर यह साबित करने का दायित्व था कि श्रृंखला पूर्ण है और अभियोजन कथा में कमी की दुर्बलता को झूठे बचाव या तर्क से दुरुस्त नहीं किया जा सकता है। परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्धि से पूर्व, इस न्यायालय के शब्दों में, पुरोभाव्य शर्तें पूर्णतः स्थापित होना चाहिए जो हैं : (एससीसी पृष्ठ 185, पैरा 153)

(1) जिन परिस्थितियों से दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूर्ण रूप से स्थापित किया जाना चाहिए। संबंधित परिस्थितियों को स्थापित किया जाना या होना चाहिए, न कि किया जा सकता है;

(2) इस प्रकार साबित तथ्यों को केवल आरोपी के दोष की परिकल्पना से ही संगत होने चाहिए, अर्थात् यह कि उन्हें किसी अन्य परिकल्पना पर स्पष्टीकरण हेतु अयोग्य होना चाहिए सिवाय इसके कि आरोपी ही दोषी है;

(3) परिस्थितियाँ निश्चायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए;

(4) परिस्थितियों को प्रत्येक संभावित परिकल्पना को अपवर्जित करना चाहिए, सिवाय उस परिकल्पना के जिसे साबित किया जाना है; और

(5) साक्ष्य की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि आरोपी की निर्दोषिता से संगत सभी युक्तियुक्त आधार अपवर्जित हो और यह दर्शित करे कि सभी मानवीय संभावनाओं में यह कार्य आरोपी द्वारा ही किया गया होगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. यह सुस्थापित सिद्धांत है कि साबित परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है किंतु किसी व्यक्ति को परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषी ठहराने हेतु यह अत्यंत

आवश्यक है कि यह सावधानीपूर्वक परीक्षण किया जाए कि परिस्थितियाँ केवल आरोपी के दोषसिद्धि के सिद्धांत से ही संगत हो और किसी अन्य सिद्धांत से उसकी व्याख्या नहीं की जा सके सिवाय इसके कि आरोपी ही दोषी है। यह आवश्यक नहीं है कि विभिन्न परिस्थितियाँ हों, यदि केवल एक ही परिस्थिति उपरोक्त शर्त को पूर्ण करती हो तो वह आरोपी के दोषसिद्धि हेतु पर्याप्त होगा और यदि अनेक परिस्थितियाँ हैं, तो वे साक्ष्यों की ऐसी श्रंखला बनानी चाहिए जो इतनी पूर्ण हो कि आरोपी की निर्दोषिता से संगत सभी युक्तियुक्त आधार अपवर्जित हो और यह दर्शित करे कि सभी मानवीय संभावनाओं में अपराध केवल आरोपी द्वारा ही किया गया है, अन्य द्वारा नहीं।

15. अभियोजन द्वारा जिन परिस्थितियों पर भरोसा किया गया है और जो साबित हुई हैं, वे निम्नलिखित हैं :-

(1) अभियुक्त/अपीलार्थी और उसकी पत्नी पार्वती घटना के समय कमरे के अंदर थे।

(2) पार्वती की आवाज सुनकर फूलबाई वहाँ पहुंची, जिसने देखा कि पार्वती कमरे के अंदर पड़ी थी और अभियुक्त/अपीलार्थी टंगिया लेकर उसके पास खड़ा था, जिसने फूलबाई पर भी हमला करने का प्रयास किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) फूलबाई ने अपने पति को जानकारी दी, जिस पर उसने अन्य व्यक्तियों को भी सुचना दी और जब बाबूलाल तथा अन्य व्यक्ति अभियुक्त/अपीलार्थी के घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था। उन्होंने दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश किया तो मृतका पार्वती को चित्त पड़ा हुआ देखा जिसके मर्म अंगों पर कई चोटें मौजूद थी।

(4) फूलबाई ने अभियुक्त/अपीलार्थी को अपने घर से भागते हुए भी देखा था।

(5) अभियुक्त/अपीलार्थी के मेमोरेंडम कथनानुसार खून आलूदा टंगिया बरामद कर जब्त किया गया था जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

(6) घटना के समय अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा पहने गए कपड़े में भी खून के निशान हैं जिसके सम्बन्ध में भी अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

16. उपरोक्त सभी परिस्थितियां संचयी रूप से एक ऐसी पूर्ण श्रृंखला बनाती है कि यह निष्कर्ष के सिवाय अन्य कोई निष्कर्ष नहीं रह जाता कि सभी मानवीय संभावनाओं में अपराध अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा ही किया गया है, किसी अन्य द्वारा नहीं।

17. अभियुक्त/अपीलार्थी के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि पार्वती की मृत्यु गंभीर और अचानक प्रकोपन के परिणामस्वरूप हुई थी, अतः निकृष्ट रूप में अपीलार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग (I) के अंतर्गत आता है। उन्होंने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा *गंगाराम बनाम मध्यप्रदेश राज्य*, जो कि एम.पी.डब्लू.एन. 2000 (1) एस.एन. 49 में प्रकाशित है, में पारित निर्णय का अवलम्ब लिया है। यह प्रकरण तथ्यात्मक स्तर पर भिन्न है। जिस प्रकरण का अवलम्ब लिया गया है, उसके तथ्य और वस्तुगत से यह साबित होता है कि मृत्यु गंभीर और अचानक प्रकोपन के परिणामस्वरूप हुई थी परंतु वर्तमान प्रकरण में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह साबित होता हो कि प्रासंगिक समय पर अभियुक्त/अपीलार्थी ने किसी गंभीर और अचानक प्रकोपन के परिणामस्वरूप अपनी पत्नी पर हमला किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा समस्त साक्ष्यों का सम्यक परिशीलन कर उचित निर्णय लिया गया है कि अभियुक्त/अपीलार्थी ने ही अपनी पत्नी पार्वती की मृत्यु कारित किया है और उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध कर दंडादेश दिया गया है। दोषसिद्धि एवं दंडादेश संबंधी आक्षेपित निर्णय में कोई दोष नहीं पाया गया है जो इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किए जाने योग्य हो।

19. परिणामस्वरूप, अपील असफल हो जाती है और खारिज की जाती है।

सही/-
फखरुद्दीन
न्यायमूर्ति

सही/-
वी.के. श्रीवास्तव
न्यायमूर्ति

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिसाबित माना जाएगा एवं कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated by Soumitra Kesharwani, Advocate

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur